(40)

यालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0 प्र0)

147

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs -20/-

335
30.6.14

R-2390-III/14

राम किशोर पाण्डेय तनय स्व. शालिगराम पाण्डेय पेशा– पेन्शन भोगी निवासी द्वारिका नगर, (हरिभूषणनगर) रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. किशनचन्द्र मोटवानी तनय प्रभूदास मोटवानी उम्र 60 वर्ष पेशा–व्यापार निवासी रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

2. म0प्र0 शासन .... गैर निगरानीकर्ता

पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध राजस्व निरीक्षक, रा. नि. मं. गिर्द रीवा, तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा प्र0 क्र0 195 /अ–12 /2013–14 मे पारित सीमांकन आदेश दिनांक 27.5.2014

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

आज दिनांक 30-06-14 के ... प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

2374
आज 25-7-14 को प्राप्त
25-7-14
...

पुनरीक्षण याचिका के आधार निम्नलिखित हैं:–

1. यह कि आ0 ख0 क्र0 765/4/1/क रकवा 0.011 हे0 स्थित रीवा 553 रा. नि. मं. गिर्द रीवा प0 ह0 रीवा क्र. 31 तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) से सम्बन्धित सीमांकन अनुमोदन आदेश अवैध, अनियमित एवं औचित्यहीन है।

2. यह कि आलोच्य आदेश के द्वारा दिनांक 26.5.2014 का कथित सीमांकन प्रतिवेदन प्र0 पी0 1, उसी दिनांक का स्थल पंचनामा प्र.पी. 2, एवं सूचना पत्र प्र.पी. 3 का अनुमोदन किया गया है किन्तु उक्त दिनांक 26.5.2014 को मौके मे कोई सीमांकन या नाप–जोख नहीं की गई और निगरानीकर्ता को सीमांकन हेतु कभी कोई सूचना भी नहीं दी गई।

3. यह कि सीमांकन हेतु यह आवश्यक है कि आवेदित आराजी तक स्थायी सीमाचिन्ह से नाप करते हुए पहुँचा जाय और उसकी सीमा निर्धारित कर उचित नाप के

Adv. रा॰ कि॰ पाण्डेय

क्रमशः पेज क्रमांक 2 पर

(40)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग02390.II/2018 जिला–रीवा

रामकिशोर पाण्डेय/किशनचन्द्र मोरवानी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री फणीस पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, गिर्द तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 195/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	